फैक्स

संख्याः 2030/6-पु-1-15-213/2015

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2015

विषयः- उ0प्र0 पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्याः डीजी-4-124(05)2015 दिनांक 06.09.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के रुप में किसी भी पद पर सेवायोजन किया जाता है तो इस सम्बन्ध में उन पदों के लिए जारी की गयी सेवानियमावलियों में दी गयी व्यवस्था के आलोक में विभिन्न पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेः-

(1) पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के रुप में सेवायोजन केवल उन्हीं पदों पर किया जायेगा जिनके सम्बन्ध में पुलिस विभाग की सम्बन्धित नियमावली में इसका प्राविधान होगा।

(2) मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के रुप में किसी भी पद पर सेवायोजन हेतु किसी अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, शारीरिक दक्षता के मानक, अन्य योग्यताएं व अर्हताएं वहीं होंगी जो संबंधित नियमावली के अनुसार उस पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी भी अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होंगी। किन्तु इस संबन्ध में शासन द्वारा, शासनादेश संख्याः1203/छः-पु-10-2000-1200(8)/98 दिनांक 01 मई 2000 के अन्तर्गत, शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में प्रदान की गई 2 सेंटीमीटर की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी।

(3) यदि मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की श्रेणी के अंतर्गत भर्ती हेतु, किसी पद पर आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, उस पद के लिए मृतक आश्रित श्रेणी के निर्धारित पदों से अधिक हो, तो अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में बैठने की अपेक्षा की जायेगी एवं इस पद के लिए अंतिम चयन सूची, उस पद के लिए मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती हेतु निर्धारित पदों की संख्या के अनुसार, इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, श्रेष्ठता क्रम के अनुसार बनाई जाएगी।

(4) किसी भी अभ्यर्थी का मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में किसी पद पर सेवा योजन किए जाने से पूर्व, उस पद हेतु यथावश्यक शारीरिक दक्षता परीक्षा, अन्य योग्यताओं व अर्हताओं की परीक्षा एवं आवश्यक्तानुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन, भर्ती बोर्ड द्वारा कराया जाएगा।

(5) किसी भी पद पर मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में भर्ती हेतु किसी भी अभ्यर्थी को नियमानुसार एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा, अगर वह इस हेतु प्रदान किये गये अवसर में किसी भी कारण से, उस पद के लिये निर्धारित प्रक्रियानुसार सेवायोजन पाने में असफल रहता है तो उसे अन्य किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु ऑफर दिया जायेगा और यदि वह 03 माह के अन्दर अन्य किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि वह पुलिस विभाग में मृतक आश्रित के रूप में किसी भी पद पर सेवायोजन पाने का इच्छुक नहीं है।

(6) उपरोक्त दिये गए निर्देशों के अतिरिक्त, शासन द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए शेष सभी निर्देश, पूर्व की भांति लागू रहेंगें।

(7) मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवा योजन के संबन्ध में उपरोक्त के अन्तर्गत विस्तृत आदेश, जिसमें इस हेतु कराई जाने वाली परीक्षाएं भी शामिल होंगी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अलग से जारी किए जायेंगे।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्याः 2030(1)/6-पु-1-15-213/2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
(3) सचिव, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ऑन लाइन शासनादेश प्रकोष्ठ, गृह (पुलिस) अनु-8, कृपया वेब साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
18.7.15
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।